

प्रारूप -30

It is further certified that: Minutes of meeting of Paldi to Moldhar Sarmoli to khongcha to chunnikhal Motor Road Length-3.000 regarding FRA is as following

No	Dated
Sr. No.	Remark
(a)	The Complete process for indentification and Settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire 0.873 hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre- agricultural Communities.

राजेश्वरी गोशी

जिला पंचायत सदस्य
बडियारगढ क्षेत्र

20/12/15
जिला समाप्त कल्याण अधिकारी
जिला सहायक वन अधिकारी
टिहरी गढ़वाल, नरेंद्रनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नरेंद्रनगर
मुनिकीरेती वन विभाग
मुनि-की-रेती

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेंद्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

Signature-----

(Yugal Kishor Pant)
District Collector
Tehri Garhwal

प्रारूप -30.1,

52

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Yugal Kishor Pant I.A.S District collector Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Kirtinagar Block area measuring 1.4805 hect for the construction of Gandiyaldhar to Pandav Motor Road forest land under F R A. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kirtinagar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Date-----12/03/2015-----

Place-----New Tehri-----

Signature-----

(Yugal Kishor Pant)
District Collector
Tehri Garhwal

प्रारूप -30.2,**कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर****अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर टि0ग0**

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण के लिए 0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.4805 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.4805 हे0 वन भूमि का अस्थाई0 खण्ड लो0नि0वि0 कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नई देवप्रयाग) की दिनांक 24/2/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री डी0 एस0 नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री डी0 एस0 नेगी उपजिलाधिकारी —————अध्यक्ष
- 2- श्री प्रदीप कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी—————सदस्य
- 3- श्री रणजीत सिंह बर्तवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी—सदस्य/सचिव
- 4- श्रीमती अनीता निजवाला बी0डी0सी0 क्षेत्र —————सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु 1.4805 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.4805 हे0 वन भूमि अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर टि0ग0 की बैठक की उपस्थिति :-

1- श्री डी0 एस0 नेगी उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2- श्री प्रदीप कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3- श्री रणजीत सिंह बर्तवाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	
4- श्रीमती अनीता निजवाला बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	

रुना सिंह

क्षेत्र पंचायत सदस्य

देवगढ़ी

विकास उप

टि0ग0

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी क्षेत्र- कीर्तिनगर

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

53-A

प्रारूप -1.90,**भू-अर्जन प्रमाण-पत्र****ग्राम पंचायत का नाम- मोलधार एवं खोंगचा
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल**

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वीकृति संदर्भ: 2503 / III-(2) / 06-37(प्रा0आ0) / 2006 दिनांक 20.9.2006

जनपद टिहरी गढ़वाल में कीर्तिनगर विकास खण्ड के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण मोटर मार्ग का निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डियालधार पाण्डव मोटर मार्ग के नवनिर्माण के लिए 0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.4805 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.4805 हे० वन भूमि) का अस्थाई० खण्ड लो०नि०वि० कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी

के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 0.666 हे० ग्राम पंचायत मोलधार एवं खोंगचा के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

ह०/-

(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
टिहरी गढ़वाल

प्रारूप -30.3,**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र**

54.

ग्राम पंचायत का नाम- क्वीली/पल्यापटाला**तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल**

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डीयालधार पाडण्व मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रखण्ड टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डीयालधार पाडण्व मोटर मार्ग के नवनिर्माण के लिए 0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.4805 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.4805 हे० वन भूमि) का अस्थाई० खण्ड लो० नि० वि० कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्वीली एवं पल्यापटाला द्वारा दिनांक 08.02.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्वीली एवं पल्यापटाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.4805 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

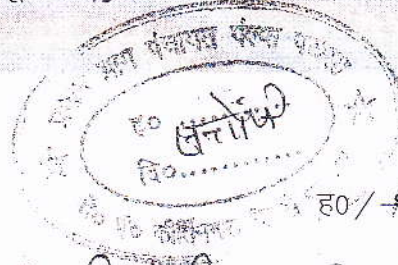
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/

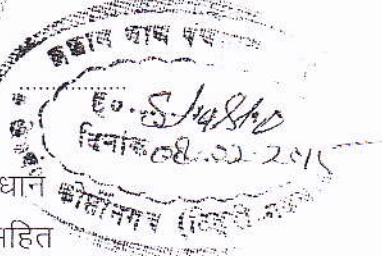
[Signature]

ग्राम सचिव
मुहर सहित

[Signature]
मुख्यापटाला
कोतिनगर



ह०/



ग्राम प्रधान
मुहर सहित

रंजनी देवी
बसन्त देवी
चौपाला सिंह
मेहर देवी सिंह

हनुमन्त उपाध्याय

श्री 08/02/2015 मेदिन सिंह
जिला पंचायत सदस्य
चिलेड़ी - 34
बडियारगढ़ (टि० ग०)

[Signature]
क्षेत्र पंचायत सदस्य
देवगढ़ी एनी कोस्तु
विकास खण्ड कीर्तिनगर टि० ग०

[Signature]
शनि सिंह
एन० सिंह
गुपत सिंह

[Signature]
प्रताप सिंह
हरीश चन्द्र सिंह
कवि सिंह
नुरज्जुल हक
गुपत सिंह

[Signature]
मोविता देवी
सुजिता सिंह
मो० देवी
मा० पत्नी देवी

प्रारूप - 30.3,

55

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र**ग्राम पंचायत का नाम-कवीली/पल्यापटाला****तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल**

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत घण्डीयालधार पाइपव मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

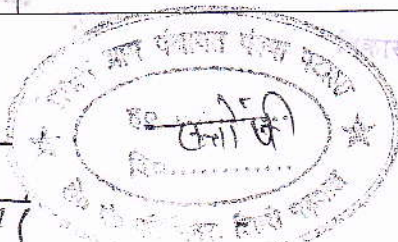
दिनांक 08.02.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री श्री सत्य सिंह मेहरा	सत्य सिंह
2.	" बीरेंद्र सिंह मेहरा	बीरेंद्र सिंह
3.	" भगत सिंह मेहरा	भगत सिंह
4.	" सोहन सिंह	सोहन सिंह
5.	" विक्रम सिंह मेहरा	विक्रम सिंह
6.	" प्रताप सिंह मेहरा	प्रताप सिंह
7.	" लक्ष्मण सिंह मेहरा (पूर्व प्रधान)	लक्ष्मण सिंह
8.	" कशर सिंह मेहरा	कशर सिंह
9.	" उपेन्द्र सिंह मेहरा	उपेन्द्र सिंह
10.	" होशियार सिंह	होशियार सिंह
11.	" नरेंद्र सिंह मेहरा	नरेंद्र सिंह
12.	" उदय सिंह	उदय सिंह
13.	" धनवीर सिंह वर्तमान	धनवीर सिंह
14.	" सुनील सिंह वर्तमान	सुनील सिंह
15.	श्रीमती स्वप्नदेवी देवी	स्वप्नदेवी देवी
16.	" पूर्वी देवी	पूर्वी देवी
17.	श्री रमेश सिंह वर्तमान	रमेश सिंह
18.	" सुनील सिंह वर्तमान	सुनील सिंह
19.	" उदय सिंह	उदय सिंह
20.	श्रीमती ललीता देवी	ललीता देवी
21.	" रजनी देवी	रजनी देवी
22.	" भवना देवी	भवना देवी
23.	" भागती देवी	भागती देवी
24.	सुमिता देवी	सुमिता देवी
25.	चौपाल सिंह	चौपाल सिंह
26.	मदन सिंह	मदन सिंह

H0/-

ग्राम प्रधान

मुहर सहित



H0/-

ग्राम प्रधान

मुहर सहित

